विकास करने तथा वहां एक संग्रहालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ

4122. **श्री हीरा भाई :**
श्री बसन्त साठे :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों का कोई संघ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है ;

(ग) क्या उक्त संघ को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब मान्यता दी गई और यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय एक ही नाम अर्थात् अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के अन्तर्गत शिक्षकों के दो संघ कार्य कर रहे हैं ।

(ग) और (घ). दिसम्बर, 1974 में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ को निर्धारित शर्तों को पूरा करने की शर्त पर वस्तुतः मान्यता देने का निर्णय किया गया था । पूर्व इसके कि यह मान्यता दी जाती एक ही नाम के दो प्रतियोगी संघ बन गए जिनमें से प्रत्येक शिक्षकों का एक मात्र प्रतिनिधि होने का दावा करता था । इनमें से कोई भी संघ पंजीकृत निकाय नहीं है । अतः इन दोनों संघों में से किसी को भी वस्तुतः मान्यता देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

Irrigation Projects pending clearance on account of Inter State disputes

4123. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there are some irrigation projects which are still lying uncleared with the Central Water and Power Commission on account of inter-State disputes; and

(b) if so, which are the projects and the measures being taken by Government to expedite the same?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) The main pending disputes relate to Narmada, Godavari, Cauvery and Yamuna basins. The details of the projects in these basins pending clearance due to inter-State aspects involved are given in the attached Statement.

The disputes relating to Narmada and Godavari waters are being adjudicated upon by the Tribunals set up under the Inter-State Water Disputes Act, 1956. The decision of the Narmada Water Disputes Tribunal is expected to be available within this month itself. As regards Godavari waters, the hearing of the case had to be adjourned by the Godavari Water Disputes Tribunal from time to time at the request of the party States. The case is now listed for hearing on 17th October, 1978. In the meantime, the concerned States have agreed on substantial allocation of Godavari waters for new projects.

With regard to the use and development of Cauvery waters, an Undering amongst the concerned States namely, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu was reached at an inter-State meeting held by the Union Minister of Agriculture and Irrigation in August, 1976. In pursuance of this Understanding two committees, namely, a Committee of Technical Officers and a